

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2022-23 में चयनित (औपबंधिक) अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0प्र0प0 2022-23/विज्ञप्ति 01/162-66/2024-25, दिनांक 04 सितम्बर, 2024 द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2024 को आयोजित डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा 2022-23 में चयनित अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रवेश परीक्षा हेतु जारी शासनादेश एवं विवरणिका में अंकित समस्त अहर्ताएँ पूर्ण करते हों। काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत् हैं-

1. चयनित अभ्यर्थियों (औपबंधिक) की राज्य स्तरीय काउंसलिंग विज्ञप्ति में वर्णित तिथियों एवं स्थानानुसार प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक की जाएगी, जिस हेतु अभ्यर्थी काउंसलिंग स्थल पर प्रातः 09:00 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिससे समयान्तर्गत प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।
2. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं अन्य से सम्बन्धित समस्त मूल प्रमाण पत्रों को जाँच समिति के सम्मुख अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	अभिलेख
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. हाईस्कूल परीक्षा का अंकपत्र।</li> <li>2. हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाणपत्र।</li> <li>3. इण्टर परीक्षा का अंकपत्र।</li> <li>4. इण्टर परीक्षा का प्रमाणपत्र।</li> <li>5. स्नातक परीक्षा के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा के अंकपत्र।</li> <li>6. स्नातक परीक्षा का प्रमाणपत्र।</li> </ol>
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SC/ST/OBC/EWS (ऊर्ध्वाधर आरक्षण) के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र। (क) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा वैध अवधि के अनुसार आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि से पूर्व तक निर्गत होना अनिवार्य है। (ख) आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा वैध अवधि के अनुसार आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि से पूर्व तक निर्गत होना अनिवार्य है।</li> </ol>
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. क्षैतिज आरक्षण हेतु- DFF/PH/Ex.Sol/ ORPHAN, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलकारी (स्वयं/आश्रित) (निर्धारित प्रारूप- 1/प्रारूप- 2) एवं कुशल खिलाड़ी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र।</li> </ol>
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0प्र0प0 2022-23/विज्ञप्ति 01/162-66/2024-25, दिनांक 04 सितम्बर, 2024 के अनुसार एवं विवरणिका के अनुसार वांछनीय प्रमाणपत्र। (क) स्थाई निवास अथवा मूल निवास प्रमाणपत्र। (ख) नियोक्ता द्वारा जारी (अभिभावक/स्वयं का) सेवा/कार्यरत होने का प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र का प्रारूप संलग्न है)</li> </ol>

5	1. डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। 2. आधार कार्ड अथवा कोई अन्य फोटो युक्त वैध आई.डी.।
6	1. दो पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटोग्राफ।

1. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र पर की गई समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अंकनाओं का परीक्षण मूल प्रमाणपत्र एवं अभिलेखों से किया जाएगा।
2. राज्य स्तर पर शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की श्रेणी के सम्बन्ध में की गयी अर्हताओं के मिलान पर यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसे निदेशक महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण अंकना अथवा विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी तथा उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
4. काउंसलिंग के समय पाये जाने वाले विसंगति प्रकरणों की जाँच शासनादेश संख्या/173/XXIV-A-1/2021/02/2018 T.C. दिनांक 24 जनवरी 2022 के बिन्दु संख्या 07 के अनुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
5. यदि अंतिम अवसर के पश्चात् भी अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथियों को उपस्थित नहीं होता है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा एवं अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. काउंसलिंग प्रक्रिया में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से, उत्तराखण्ड की 13 डायट्स की सीटों हेतु, वरीयता के आधार पर, प्राथमिकता के अनुरूप, विकल्प पत्र भरवाये जायेंगे। अभ्यर्थी प्रथम वरीयता में अपने गृह जनपद को भरेंगे।
7. समस्त स्थानों/सीटों हेतु श्रेणीवार, वर्गवार काउंसलिंग किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गये विकल्प पत्र में उल्लेखित वरीयता क्रम एवं श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर प्रशिक्षण हेतु सीटों को भरे जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी।

**एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, ननूरखेड़ा, देहरादून के सभागार में प्रस्तावित है। अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में वांछित समस्त मूल प्रमाणपत्रों एवं अभिलेखों सहित स्वयं उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी को इन प्रमाणपत्रों एवं अभिलेखों की स्वप्रमाणित एक-एक छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज की दो नवीनतम फोटोग्राफ भी अनिवार्य रूप से काउंसलिंग के समय समिति को उपलब्ध करानी होगी।**

काउंसलिंग में आने से पूर्व सफल अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि—

1. 01 जुलाई, 2025 को अभ्यर्थी की आयु 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, अर्थात् अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई 1995 से पूर्व एवं 01 जुलाई 2006 के बाद की न हो। भूतपूर्व सैनिकों एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।
2. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि (05 सितम्बर, 2024) से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित (चयनित उपवर्ग के अनुसार निर्धारित विषय/विषयों) में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो।
3. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सम्बन्धित श्रेणी (यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र हो।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र (निर्गत शासनादेशानुसार) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है।
5. आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र (निर्गत शासनादेशानुसार) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है।
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी (DFE) में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र हो, जिससे उनके स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का आश्रित होने की पुष्टि हो सके।
7. विकलांगता (PH) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता (40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र हो।
8. भूतपूर्व सैनिक— स्वयं (Ex. Sol. Self) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सेना से सेवानिवृत्ति सम्बन्धी अभिलेख (कमांडिंग ऑफिसर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त) हो, जिससे उनके भूतपूर्व सैनिक होने की पुष्टि हो सके। साथ ही सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आते हों। विज्ञ हों कि इस परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय है, उनके आश्रितों को नहीं।
9. अनाथ श्रेणी (Orphan) में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
10. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी (स्वयं/आश्रित) के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रारूप— 1/प्रारूप— 2 पर) होना अनिवार्य है।
11. उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत कुशल खिलाड़ी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
12. उर्ध्वाधर (Vertical) तथा क्षैतिज (Horizontal) दोनों आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

13. ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नहीं हैं, को शासनादेश संख्या/173/XXIV-A-1)/2021/02/2018 T.C. दिनांक 24 जनवरी 2022 के बिन्दु संख्या 02 (क) सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से उत्तराखण्ड में ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती, के अनुक्रम में अपने अभिभावक का नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से काउंसलिंग में प्रस्तुत करना होगा। नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र का नमूना संलग्न है।
14. काउंसलिंग में अपने अभ्यर्थन से सम्बन्धित मूल अभिलेख/प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति, में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
15. काउंसलिंग में अभ्यर्थी अपने चयनित वर्ग/श्रेणी के अनुसार निर्धारित तिथि को प्रतिभाग करें।
16. काउंसलिंग के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी हेतु मोबाई नं.— 9410123584, 9528473633, 9675305662 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

## नियोक्ता द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र

(शासनादेश संख्या : 173/XXIV-A-1/2021/02/2018,TC शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक), देहरादून,  
दिनांक 24 जनवरी, 2022 के अनुपालन में)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.....पिता/पति.....  
..... इस संस्थान/कार्यालय/विभाग.....  
जनपद.....राज्य ..... में राज्य/केन्द्र/राज्यस्वायत्तशासी/  
अर्द्धशासकीय निकाय में दिनांक ..... से ..... पद पर .....  
वेतनक्रम (ग्रेड वेतन/वेतन लेवल) पर अविरल रूप से कार्यरत हैं, तथा इनकी सेवायें राज्य से  
बाहर स्थानान्तरणीय नहीं हैं।

इनके पुत्र/पुत्री अथवा स्वयं (नाम) ..... हैं।

दिनांक .....

नियोक्ता के हस्ताक्षर

नाम : .....

पदनाम : .....

(मुहर सहित)